

15-10-2010

From

Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana,  
Education Department

To

- Director School Education Haryana, Chandigarh.
- Director Elementary Education Haryana, Chandigarh.
- State Project Director S.S.A. Haryana, Chandigarh.

Memo No. 2/21-08 S.E.(3)

Dated, Chandigarh the 11-10-2010

Subject:- Revision of Norms for Opening/Up-gradation of Govt. Schools.

The matter regarding revision of norms for opening/up-gradation of schools has been engaging the attention of the Govt. from past some time. Now it has been decided to revise the earlier norms for opening/up-gradation of schools issued vide Memo No. 2/21-08 SE(3) dated 31.1.2008. The revised norms for opening/up-gradation of schools henceforth will be as under:-

**NORMS FOR OPENING/UPGRADATION OF SCHOOLS-2010**

Sr. no.	School Level	Enrolment	Land	Distance from nearest school	Number of Class Rooms
1.	Opening of Branch Primary School	Atleast 25	.5 acre for Rural areas and .25 acre for Urban areas	Nil	5 Class Rooms (One room for each class)
2.	Opening of Primary School	150-300 for one school 301-600 for two schools 601-900 for three schools and so on.	.5 acre	1 Km	5 Class Rooms (One room for each class)
3.	Primary to Middle	150 Students from 1st to Vth class and at least 25 students studying in class Vth for the last two years. and If there is more than one Primary School in a village then one of the school which is having maximum no. of students and maximum infrastructure may be upgraded.	1 acre	2 Km	8 Class Rooms (at least one room per section)
4.	Middle to Sr. Secondary	At least 210 Students in classes VIth to VIIth and at least 70 students should be in class VIIIth for the last two years for starting IXth and Xth classes. and In a radius of 5 Km one of the Middle Schools having highest students strength, adequate infrastructure and easy accessibility may be upgraded to Sr. Sec. stage.	2 acre	5 Km	14 Class Rooms (atleast one room per section)
5.	High to Sr. Secondary	150 in classes IX to Xth as per record of Board of School Education Haryana. and In a radius of 5 Km one of the High Schools having highest students strength, adequate infrastructure and easy accessibility may be upgraded to Sr. Sec. stage.	2 acre	5 Km	14 Class Rooms (atleast one room per section)

*guy*

## Other Essential Infrastructure Required

Sr. no.	School Level	Required Infrastructure								
1.	Opening of Primary School	Kitchen-cum store for mid-day meals	Library-cum EUDSAT room	Room for Headmaster-cum record room	---	---	---	---	---	---
2.	Primary to Middle	Kitchen-cum store for mid-day meals	Library-cum EUDSAT room	Room for Headmaster-cum record room	Laboratory room	Computer room	---	---	---	---
3.	Middle to Sr. Secondary	---	Library-cum EUDSAT room	Principal's room	Laboratory (separate for Physics, Chemistry, Biology)	Computer room	Multi-media room	Office record room	Girls activity room	Arts & Craft room
4.	High to Sr. Secondary	---	Library-cum EUDSAT room	Principal's room	Laboratory (separate for Physics, Chemistry, Biology)	Computer room	Multi-media room	Office record room	Girls activity room	Arts & Craft room

### Note: Norms for Room Size


Class Room/office-cum-record room/girls activity room.	24' X 18' X 10' with verandah of 10'
Headmasters Room/Principals Room	One room for Headmaster/Principal.
Library cum EDUSAT Room	48' X 18'
Laboratory/Multimedia/Arts & crafts	30' X 20'
Kitchen-cum-store	18' X 12'

\* All rooms shall be of earthquake resistant design.

### Norms for Various Facilities

All schools shall have following facilities-

- Adequate playgrounds.
- Ramp for barrier free access at each level.
- Separate toilets for boys & girls as per TSC norms.
- Provision for drinking water.
- Dual desks, at least half the student strength.
- Fire-fighting equipment.
- Rain water harvesting structures.
- Electricity
- Boundary walls (minimum 5' height).

  
 Deputy Secretary Education  
 For Director Secondary Education Haryana,  
 Chandigarh



Endst. No. Even


Dated, Chandigarh the 11-10-2010

A copy is forwarded to the following for the information and necessary action:-

1. Advocate General Haryana Chandigarh.
2. Accountant General Haryana Chandigarh.
3. Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana, Finance Department Haryana, Chandigarh.

4. Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana PWD (B&R) Haryana, Chandigarh.
5. Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana Urban Development Department Haryana, Chandigarh.
6. Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana Rural Development Department Haryana, Chandigarh.
7. Chief Administrator, HUDA, Haryana, Panchkula.
8. Engineer-in-Chief, PWD (B&R), Haryana, Chandigarh.
9. OSD/CM, Haryana, Chandigarh.
10. Chief Architecture, Haryana, Chandigarh.
11. All District Education Officers/Additional District Education Officer (Primary) in the State.
12. Senior Secretary /E.M./FCEL.
13. PS/PA / DSE/Additional Director.
14. ✓ ~~Technical Officer~~ IT Cell.

  
**Deputy Secretary Education**  
**For Director Secondary Education Haryana,**  
**Chandigarh** 

  
17/1/12

Programmer - II

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव  
शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार

प्रेषित

- निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
- निदेशक ऐलीमेंट्री शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
- निदेशक प्रोजेक्ट एवं निदेशक एस०एस०ए० हरियाणा, चण्डीगढ़।

अशा: क्रमांक 2/21-08 सै०शि० (3)  
दिनांक, चण्डीगढ़। 11-10-2010

विषय:- नया विद्यालय खोलने एवं विद्यालय स्तरोन्नत करने हेतु परिवर्तित नियम।

नया विद्यालय खोलने एवं विद्यालय स्तरोन्नत करने हेतु नियमों में परिवर्तन हेतु मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। जिस पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के तहत निम्न अनुसार नया विद्यालय खोलने एवं विद्यालयों को स्तरोन्नत करने हेतु नियमों में परिवर्तन किया गया है। यह नियम पूर्व में जारी क्रमांक 2/21-2008 सै०शि० (3) दिनांक 31.1.2008 का तुरन्त प्रभाव से स्थान लेंगे।

नया विद्यालय खोलने एवं स्तरोन्नत करने हेतु नियम, 2010

क्र०	विद्यालय स्तर	छात्र संख्या	भूमि	नजदीकी विद्यालय से न्यूनतम दूरी	कक्षा कक्षा की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय शाखा खोलने हेतु	कम से कम 25	ग्रामीण क्षेत्र : 1/2 एकड़ शहरी क्षेत्र: 1/4 एकड़	शून्य	5 कक्षा कक्षा (हर कक्षा के लिये एक)
2.	प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु	150-300 एक विद्यालय हेतु 301-600 दो विद्यालयों हेतु 601-900 तीन विद्यालयों हेतु	आधा एकड़	1 कि०मी०	5 कक्षा कक्षा (हर कक्षा के लिये एक)
3.	स्तरोन्नत प्राथमिक से माध्यमिक	कक्षा पहली से पांचवी में 150 विद्यार्थी हों और पिछले दो वर्षों से पांचवी कक्षा में कम से कम 25 विद्यार्थी पढ़ रहे हों। एवं अगर एक गांव में एक से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय है तो उनमें से जिस विद्यालय में अधिकतम छात्र संख्या व अधिक सुविधाये होगी उसे स्तरोन्नत किया जा सकता है।	1 एकड़	2 कि०मी०	8 कक्षा कक्षा (हर कक्षा के लिये एक)
4.	स्तरोन्नत माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक	कक्षा छठी से आठवी तक 210 विद्यार्थी हों और पिछले दो वर्षों से आठवी कक्षा में कम से कम 70 विद्यार्थी पढ़ रहे हों। अथवा पांच किलोमीटर के दायरे में ऐसा माध्यमिक विद्यालय जहां अधिकतम विद्यार्थी संख्या हो व पर्याप्त सुविधाएं हो उसे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया सकता है।	2 एकड़	5 कि०मी०	14 कक्षा कक्षा (हर कक्षा के लिये एक)

5.	स्तरोन्नत उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक	हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार नौवी व दसवीं कक्षा में 150 विद्यार्थी हों  अथवा पांच किलोमीटर के दायरे में ऐसा उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां अधिकतम विद्यार्थी सख्या हो व पर्याप्त सुविधाएं हो उसे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत किया जा सकता है।	2 एकड़	5 कि०मी०	14 कक्षा कक्ष (हर कक्षा के लिये एक)
----	-----------------------------------	---	--------	----------	-------------------------------------

### अन्य आवश्यक सुविधाएं

क्र०	विद्यालय स्तर	आवश्यक सुविधाये								
1.	प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु	रसोईघर एवं मिड-डे-मील हेतु भण्डार घर	पुस्तकालय एवं एजूसैट कक्ष	मुख्याध्यापक कम रिकार्ड कक्ष						
2.	स्तरोन्नत प्राथमिक से माध्यमिक	रसोईघर एवं मिड-डे-मील हेतु भण्डार घर	पुस्तकालय एवं एजूसैट कक्ष	मुख्याध्यापक कम रिकार्ड कक्ष	प्रयोगशाला कक्ष	कम्प्यूटर कक्ष				
3.	स्तरोन्नत माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक	-	पुस्तकालय एवं एजूसैट कक्ष	प्रधानाचार्य कक्ष	प्रयोगशाला कक्ष (जीव, भौतिकी एवं रसायन) हेतु अलग-2	कम्प्यूटर कक्ष	मल्टी मीडिया कक्ष	कार्यालय रिकार्ड कक्ष	छात्राओं हेतु एक्टिविटी कक्ष	आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष
4.	स्तरोन्नत उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक	-	पुस्तकालय एवं एजूसैट कक्ष	प्रधानाचार्य कक्ष	प्रयोगशाला कक्ष (जीव, भौतिकी एवं रसायन) हेतु अलग-2	कम्प्यूटर कक्ष	मल्टी मीडिया कक्ष	कार्यालय रिकार्ड कक्ष	छात्राओं हेतु एक्टिविटी कक्ष	आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष


### नोट: कक्षा क्षेत्र हेतु

कक्षा कक्ष / कार्यालय कम रिकार्ड कक्ष / छात्राओं हेतु एक्टिविटी कक्ष	24' X 18' X 10' एवं बरामदा 10'
मुख्याध्यापक कक्ष / प्रधानाचार्य कक्ष	मुख्याध्यापक / प्रधानाचार्य हेतु एक कक्ष
पुस्तकालय कम एजूसैट कक्ष	48' X 18'
प्रयोगशाला कक्ष / मल्टी मीडिया कक्ष / आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष	30' X 20'
रसोईघर एवं मिड-डे-मील हेतु भण्डार घर	18' X 12'
सभी कक्षाओं का निर्माण भूकंपरोधी एवं पी०डब्ल्यू०डी० मानकों के अनुरूप होना चाहिये।	

## विभिन्न सुविधाओं हेतु नियम

सभी विद्यालयों में निम्न अनुसार सुविधाये आवश्यक है:-

- उचित खेल के मैदान की व्यवस्था।
- भूमि सतह पर रैंप की व्यवस्था।
- टी0एस0सी0 के नियमानुसार छात्र एवं छात्राओं हेतु अलग-2 प्रासाधन कक्ष।
- पीने के पानी की उचित व्यवस्था।
- छात्र संख्या के अनुरूप कम से कम आधे ड्यूल डैस्क छात्राओं के अनुरूप छात्र संख्या के कम से कम आधी संख्या को ड्यूल डैस्क की व्यवस्था।
- अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था।
- विद्यालय में जल संचयन की उचित व्यवस्था।
- सी0एफ0एल0 तथा पंखों सहित बिजली की सुविधा।
- चारदीवारी (जिसकी उचाई कम से कम 5 फुट होनी चाहिये)।


  
उप सचिव शिक्षा  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
हरियाणा चण्डीगढ़

दिनांक, चण्डीगढ़ 11-10-2010

पृष्ठांकन क्रमांक सम

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महाधिवक्ता हरियाणा चण्डीगढ़।
2. महालेखाकार हरियाणा चण्डीगढ़।
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग हरियाणा सरकार।
4. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, पी0डबल्यु0डी0 (बी0 एण्ड आर0) विभाग हरियाणा सरकार।
5. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, शहरी विकास प्राधीकरण विभाग हरियाणा सरकार।
6. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास प्राधीकरण विभाग हरियाणा सरकार।
7. मुख्य प्रशासक हुड्डा हरियाणा पंचकुला।
8. इन्जीनियर-इन-चीफ पी0डबल्यु0डी0 (बी0 एण्ड आर0) विभाग हरियाणा चण्डीगढ़।
9. ओ0एस0डी0/सी0एम0, हरियाणा चण्डीगढ़।
10. चीफ आर्कीटेक्चर हरियाणा चण्डीगढ़।
11. सभी जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) हरियाणा राज्य।
12. वरिष्ठ सचिव/शिक्षा मंत्री/वित्तायुक्त शिक्षा।
13. निजी सचिव/निजी सहायक/निदेशक सैकण्डरी शिक्षा/अतिरिक्त निदेशक।
14. तकनीकी अधिकारी आई0टी0 सैल।

  
उप सचिव शिक्षा  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
हरियाणा चण्डीगढ़

Programmer-II

3.